12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के 55 वर्षीय अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल

जावरा (नईदुनिया न्यूज)। न्यायालय ने 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के जघन्य व सनसनीखेजी चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में अभियुक्त 55 वर्षीय बाबूलाल पाटीदार पुत्र भागीरथ पाटीदार निवासी ग्राम कालूखेड़ा को भादंवि की धारा 376 (2) आई में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए) की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला पाक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मोहितकुमार ने सुनाया।

अभियोजन के अनुसार 10 मार्च 2018 को बालिका ने दादा-दादी के साथ स्टेशन रोड थाना रतलाम पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह छह माह पहले अपने भैंसों के बाड़े में गई थी। वहां अभियुक्त बाबूलाल पाटीदार ने आकर उससे किराना दुकान से सेव (नमकीन) लाकर घर पर देने के लिए कहा था। उसके कहने पर वह दुकान से सेव लेकर देने के लिए बाबूलाल के घर गई थी। तब उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था। साथ ही धमकी दी थी कि किसी को घटना बाई तो वह उसे व परिवार को जान से खत्म कर देगा। इस कारण उसने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी थी। बाद में पेट दर्द होने पर उसे दादा-दादी अस्पताल ले गए थे, जहां बालिका के गर्भवती होने का पता चला था। पूछने पर उसने दादा-दादी को घटना की जानकारी दी थी। स्टेशन रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना स्थल कालूखेड़ा थाना क्षेत्र का होने से अग्रिम जांच के लिए मामला कालूखेड़ा थाना भेज दिया था।

डीएनए से हुई पुष्टि, शिशु की मौत हो गई थी : कालूखेड़ा पुलिस ने 11 मार्च 2018 को बाबूलाल पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया था। उधर, 24 अप्रैल 2018 को बालिका ने शिशु को जन्म दिया था, जिसकी दूसरे दिन मौत हो गई थी। पुलिस ने बाबूलाल, किशोरी व शिशु के रक्त सैम्पल लेकर डीएनए कराया था। जांच रिपोर्ट में शिशु का जैविक पिता बाबूलाल व माता किशोरी होना पाया गया। पुलिस ने 15 मई 2018 को बाबूलाल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान 35 में 18 गवाहों ने बयान अभियोजन पक्ष के समर्थन में दिए। घटना को प्रमाणित करने के लिए मौखिक, दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। बाबूलाल को भादंवि की धारा 506 बी में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व पांच सौ रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने की।